

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/155/2024

रजू दिनांक:19.11.2024

रजि0 न0 2024/268

अपीलार्थी:-

श्री विजय स्वामी, निवासी प्लॉट नं0 147,
शांतिकुंज अलवर, जिला अलवर-301001
(राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव
नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर
(राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 30.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई./2024/SP-101-03 दिनांक 22.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने आवेदन क्रमांक 6097/04.10.2024 के द्वारा सूचना चाही गई थी, उक्त सूचना न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 6409 दिनांक 09.10.2024 से सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ई परपक्षीय होने की सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंगनक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 04.10.2024 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में न्यास कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 6409 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाकर वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयवधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)